न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 82/2009/223 आर टी ए

1. विद्यादेवी पत्नि भादरराम जाति जाट निवासी शेंरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अमरसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी शेंरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. संजयकुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी शेंरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांटस

बनाम

1. श्रीराम पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी चक 2 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बनारसीदेवी पत्नि साहबराम जाति जाट निवासी शेंरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मोनू पुत्री साहबराम जरिये कुदरती बली माता बनारसीदेवी पत्नि साहबराम जाति जाट निवासी शेंरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. शेरू पुत्र साहबराम जरिये कुदरती बली माता बनारसीदेवी पत्नि साहबराम जाति जाट निवासी शेंरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्ण पुत्र साहबराम जरिये कुदरती बली माता बनारसीदेवी पत्नि साहबराम जाति जाट निवासी शेंरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. सुधीर पुत्र साहबराम जरिये कुदरती बली माता बनारसीदेवी पत्नि साहबराम जाति जाट निवासी शेंरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. सुभाष पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चक 22 एनडीआर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. उर्मिला पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी चक 22 एनडीआर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. बालीदेवी पुत्री भादरराम पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. निर्मलादेवी पुत्री भादरराम पत्नि विनोदकुमार जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. तारादेवी पुत्री भादरराम पत्नि महेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी मौजगढ़ तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
12. कलावती पुत्री भादरराम पत्नि अनिलकुमार जाति जाट निवासी मौजगढ़ तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
13. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
14. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2009 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी प्र0सं0 119/2007 अनवानी विद्यादेवी आदि बनाम श्रीराम आदि

उपस्थित :–

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलांटस

श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 8

श्री राजकुमार राठौड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9 ता 12

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–24.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए प्रस्तुत किया कि चक 17, 19 जीजीआर, चक 1 एचएमएच, चक 2 एसएसडब्ल्यू, चक 25 एनजीसी मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 9 ता 12 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। रेस्पो0 सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा व रेस्पो0 सं0 2 ता 6 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। जिसका घरूबंटवारा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 12 के मध्य अर्सा दराज पूर्व पूर्वजो मे हो चुका है जिसमे चक 17 जीजीआर मे दर्ज आराजी प. न. 180/272 मु.न. 1 कि.न. 2/0.253, चक 25 एनजीआर के प.न. 180/271 मु.न. 29 कि.न. 19 ता 22/1.012 है0 अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 9 ता 12 के हिस्से मे आई है तथा बाकी आराजी रेस्पो0 सं. 1 ता 8 के हिस्से मे आई है। रेस्पो0 सं. 1 ता 8 उपस्थित नही आये व उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। रेस्पो0 सं. 9 ता 12 ने इकबाल दावा पेश कि हमने अपना हिस्सा अपीलांटस के पक्ष मे तर्क कर दिया है तथा पैरोकार राज ने भी अपीलांटस के वाद का कोई विरोध नही किया। अपीलांट ने आदेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18 नियम 4 सीपीसी मे अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जरिये वादपत्र खारिज कर दिया कि अपीलांट/वादीगण ने वाद कलीन हैंड से प्रस्तुत नही किया इसलिये खारिज किया जाता है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 25 एनजीआर के खाता सं. 62/109 मे दर्ज आराजी अपीलांट के हिस्से मे आई है तथा चक 17 जीजीआर के खाता सं. 94/161 मे दर्ज आराजी अपीलांटस के हिस्सा मे आई है तथा उक्त दोनो खातो से रेस्पो0 सं. 1 व 2 ता 6 के पूर्वज साहबराम का नाम कलमजन कर कुल आराजी की घोषणा अपीलांटस के नाम बहिस्सा बराबर कर रेस्पो0 सं. 1 श्रीराम व रेस्पो0 सं. 2 ता 6 के पूर्वज साहबराम के नाम कलमजन कर मूल आराजी अपीलांटस के नाम दर्ज की जावें। विचारण न्यायालय को खाता तकसीम के वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवा लेना चाहिए था ताकि अपीलांटस तथा रेस्पो0 का वाद का कब्जा काश्त अनुसार डिक्री हो जाता लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलांटस का वाद खारिज कर कानूनी भूल की है। अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पूर्व मे पूर्वजो के मध्य हुये बंटवारा की प्रमाणित प्रति पेश करना चाहता है जिससे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घरूबंटवारा होना सिद्ध होता है तथा अपील के निस्तारण मे सहायक होने के कारण न्यायहित मे रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तोवज को रिकार्ड पर लिया जावें। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ता 8 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे कोई घरूबंटवारा नही हुआ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण/अपीलांटस सही खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा कतई फर्जी है। वादग्रस्त भूमि पर रिकार्ड मे दर्ज हिस्सा के अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त है तथा इसी इसी अनुसार काबिज होकर काश्त आ रहे है। अपीलांटस द्वारा अपील मे चाहे गये अनुतोष के अनुसार पक्षकारन काबिज नही है और ना ही अपीलांट विशिष्ट किलाजात के संबंध मे अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।वादग्रस्त भूमि मुश्तरका खाता मे दर्ज है जिसमे प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9 ता 12 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 9 ता 12 ने उपस्थित होकर इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने मे सहमति प्रकट करते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया गया। चूंकि रेस्पो0 सं. 9 ता 12 द्वारा अपने हक हिस्सा की आराजी अपीलांटस के पक्ष मे तर्क कर दी है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाता है तो रेस्पो0 सं. 9 ता 12 को कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज घरूबंटवारा दिनांक 27.03.1993 अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांटस द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्ययालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए प्रस्तुत कर अपने नाम दर्ज आराजी एवं रेस्पो0 सं. 9 ता 12 के नाम दर्ज आराजी के संबंध मे घोषणा एवं खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया जिसमे रेस्पो0 सं. 9 ता 12 ने इकबालदावा प्रस्तुत कर अपने नाम दर्ज अपीलांटस के पक्ष मे त्याग कर दी। अपीलांटस घरूबंटवारा के आधार पर खाता तकसीम किये जाने का निवेदन किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही यह उल्लेखित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि ''वादीगण क्लीन हैंड नही आये है इसलिये वाद वादीगण खारिज किया जाता है। जबकि अपीलांटस द्वारा अपील के दौरान वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुये घरूबंटवारा दिनांक 27.03.1993 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि का घरूबंटवारा किया हुआ है। यहां भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि खाता विभाजन के वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार पर वाद अपीलांटस खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2009 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा मे अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 94/2007/223 आर टी ए

1. कशमीर सिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी चक सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मेजरसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी चक सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. गुरदास सिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी चक सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांटस

बनाम

1. डूंगरराम पुत्र नंदराम जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बनवारी पुत्र नंदराम जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. पृथ्वीराज पुत्र नंदराम जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बिहारी पुत्र नंदराम जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. कृष्ण (फौत)

5/1 विधादेवी पत्नि कृष्ण जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5/2 विक्रम पुत्र कृष्ण जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5/3 विजय पुत्र कृष्ण जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. सुन्दरी पुत्री नंदराम जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कमला पुत्री नंदराम जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. कोयल पुत्री गोविन्दराम जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. जमना पत्नि मनफूल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. मीरां पुत्री मनफूल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. चुन्नी राम पुत्र मनफूल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. मनीराम पुत्र मनफूल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. दौलतराम पुत्र मनफूल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. कृष्णा पुत्री मनफूल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. भागवन्ती पुत्री मनफूल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. हुणता राम पुत्र रामदयाल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. शांति पत्नि नानक जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. बृजलाल पुत्र नानक जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
20. बीरबल पुत्र रामदयाल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
21. रामप्यारी पुत्री रामदयाल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
22. भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति ईसाई (तथाकथित मेघवाल) निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
23. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2007 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0सं0 154/2006 अनवानी डूंगरराम आदि बनाम भागीरथ आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता अपीलांटस, श्री बलराम नेहरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 4, 6 ता 22 व श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 23 ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2007 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 25.09.2017 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलों का स्थानान्तरण करने बाबत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official